



## न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

प्रकरण क्रमांक: /2011-12 निगरानी - 2270- १८१/१२

रोशनलाल पुत्र आनन्दीलाल निवासी माता  
के मंदिर के पास लधेडी, ग्वालियर म०प्र०

— निगरानीकर्ता

बनाम

- 1- रामकिशोर पुत्र स्व. श्री रामप्रसाद
- 2- शिवचरण पुत्र स्व. श्री रामप्रसाद
- 3- धन्नालाल तथाकथित दत्तक पुत्र सीताराम  
सभी निवासीगण माता के मंदिर के पास  
लधेडी ग्वालियर म०प्र०
- 4- जमुना देवी पत्नी श्री प्रकाश बाबू  
चौरसिया निवासी चार शहर का नाका  
इन्द्रानगर, ग्वालियर म०प्र०

— प्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा, 50 भूराजस्व संहिता विरुद्ध आदेश अनुविभागीय

अधिकारी ग्वालियर पारित प्रकरण क्रमांक 70/11-12 अपील

दिनांक 4-6-12

रामप्रसाद बाबू  
19-7-12  
19-7-12  
ग्वालियर म०प्र०



19/7

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2270-पीबीआर/2012

जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-10-2018	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री अजय शर्मा, अनावेदक क्र. 1, 2 व 4 की ओर से श्री एन.डी. शर्मा, अधिवक्ता उपस्थित एवं क्र. 3 की ओर से श्री धीरज तिवारी, अधिवक्ता उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण की सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभय पक्ष दिनांक 07.01.2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p> सीडर</p>	<p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>